

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक— 1019 / FP/UK/HYD/22889/2016 : देहरादून: दिनांक: 12 अक्टूबर, 2018

सेवा में,

सचिव,
वन एवं पर्यावरण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:—जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत सुपिन नदी पर प्रस्तावित 44 मेगावाट क्षमता की जखोल—सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 24.317 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु एसजेवीएन लि० को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या— FP/UK/HYD/22889/2016)

संदर्भ:—वन एवं पर्यावरण अनुभाग—4, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 1034/X-4-18/2(26)/2018 दिनांक 04-10-2018.

महोदय,

कृपया शासन के उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण पर कतिपय सूचनायें चाही गयी हैं। उक्त के क्रम में एसजेवीएन लि० के पत्रांक 4392 दिनांक 06-10-2018 के द्वारा सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :-

1. वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. उक्त प्रस्ताव प्राईवेट कैटेगिरी के सम्बन्ध में एसजेवीएन लि० के पत्रांक 4392 दिनांक 06-10-2018 के द्वारा सूचित किया गया है कि एसजेवीएन लि०, भारत सरकार एवं हिमाचल सरकार का संयुक्त उपक्रम है, न कि प्राईवेट कैटेगिरी में शामिल है।
3. उक्त संस्था को लीज पर वन भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि एसजेवीएन लि० को पूर्व में भी जनपद—उत्तरकाशी के अन्तर्गत नैटवाड—मौरी जल विद्युत परियोजना के लिये भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात शासन द्वारा वन भूमि 30 वर्षों लीज पर दिये जाने का शासनादेश निर्गत किया गया है। वन भूमि लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में वन एवं पर्यावरण विभाग की लीज नीति दिनांक 09-09-2005 भी अवलोकनीय है।
4. विषयांकित प्रकरण पर उक्त संस्था का राज्य सरकार के साथ दिनांक 21-11-2005 को क्रियान्वयन अनुबन्ध की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न:—यथोपरि

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

संख्या :- 1019 / FP/UK/HYD/22889/2016 दिनांकित।

प्रतिलिपि कार्यकारी निदेशक, एसजेवीएन लि०, जखोल—सांकरी जल विद्युत परियोजना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक